

DHANBAD MUNICIPAL CORPORATION

झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम-2011 की धारा 152 (3) के अन्तर्गत स्वनिर्धारित किये गये सम्पत्ती कर की सूचना।

Memo No. : 14282921041804590


Date : 21-04-2018

प्रभावी : 1 2016-2017

श्री/श्रीमती/सुश्री SRI SURAJ KUMAR & SMT PRIYANKA DEVI S/O KUL BAHADUR THAKURI,
मोहल्ला SRI RAM VIHAR PANDERPALA NEAR BINOD BIHARI CHOWK DHANBAD , 8910620043
DHANBAD , 826004

एतद् द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपका नया गृह सं. - 0180001109000M0 वार्ड सं. 18 हुआ है, आप स्व. निर्धारण घोषणा पत्र के आधार पर वार्षिक किराया मूल्य 0/- रु. निर्धारित किया गया है। इसके अनुसार प्रति तिमाही कर निम्न प्रकार होगा।

स्व-निर्धारित कर की सूचना		
क्रम सं.	Particulars	Amount (In Rs.)
1.	गृह कर	81.00
2.	जल कर	0.00
3.	शौचालय कर	0.00
4.	बिजली कर	0.00
5.	अतिरिक्त गृह कर (वर्षा जल संरक्षण की व्यवस्था नहीं होने के कारण)	0.00
कुल राशि (प्रति तिमाही)		81.00



नोट:-

- कर निर्धारण की सूची DHANBAD MUNICIPAL CORPORATION Website, www.jharkhand.suda.net पर पदर्शित है।
- नियमावली कंडिका 1.4 के अन्तर्गत वर्षा जल संरक्षण की व्यवस्था नहीं होने के कारण अतिरिक्त गृह कर लगाया जायेगा जो सम्पत्ति कर का 50% होगा। हिदायत दी जाती है कि, वर्षा जल संरक्षण संरचना लगा कर निगम को सूचित करें तथा अतिरिक्त गृह कर से राहत पायें।
- प्रत्येक वित्तीय वर्ष में सम्पत्ति कर का मुग्तान त्रैमासिक देय होगा।
- यदि किसी वर्ष के लिए सम्पत्ति कर का मुग्तान वित्तीय वर्ष के 30 जून के पूर्व कर दिया जाता है, तो करदाता को 5% की रियायत दी जाएगी।
- किसी देय मुक्ति को मिटिस्ट रामबाध (प्रत्येक तिमाही) के अन्दर या उसके पूर्व नहीं चुकाया जाता है, तो 1% प्रतिमाह की दर से साधारण ब्याज देय होगा।
- यह कर निर्धारण आपके स्व-निर्धारण एवं की गई घोषणा के आधार पर की जा रही है, इस स्व-निर्धारण-सह-घोषणा पत्र की स्थानीय जांच तथा समय निगम करा सकती है ए तथ्य गलत पाए जाने पर नियमावली कंडीका 13.2 के अनुसार निर्धारित शरित (Fine) एवं अंतर राशि देय होगा।
- DHANBAD MUNICIPAL CORPORATION द्वारा संग्रहित इस सम्पत्ति कर इन इमरतों/दोंचों की कोई कानूनी हैसियत प्रदान नहीं करता है और/या न ही अपने मालिकों/दखलदार को कोई कानूनी अधिकार प्रदान करता है।
- अगर आपके लये होल्डिंग नमों का आखिरी अंक 5/6/7/8 है तो यह विशिष्ट संरचनाओं की श्रेणी क अन्तर्गत माना जायेगा।

NOTE : This is a Computer generated receipt. This receipt does not require physical signature.